

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2807/2021

दिनांक : 09.12.2021

श्रीमती दीपिका सिंह (RJ0919), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर को दिनांक 23.11.2021 से 24.11.2021 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिंह की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

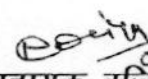

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 08.12.2021

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/90/2015/7769

दिनांक 09.12.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 36594 दिनांक 23.11.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती दीपिका सिंह (RJ0919), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर ।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर ।


सहायक रजिस्ट्रार 09.12.21